

12-03-18

राज्य द्वारा एडपीओ।

अभियुक्त रैनू, पारथसिंह, वीरेन्द्रसिंह, पवनसिंह सहित अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर व श्री एस0एस0 तोमर।

शेष अभियुक्तगण जेल से पेश नहीं का मात्र वारंट प्रस्तुत। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर व श्री एस0एस0 तोमर।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्षों के तर्क सुने गए।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 20.12.17 को फरियादी मंजूर अली बस क्रमांक एम0पी0-30 पी-0196 का चालक होकर बस को भिण्ड से सवारी लेकर ग्वालियर जा रहा था। बस जैसे ही गोहद ग्वालियर रोड ग्राम गुरीखा मोड पर आई तभी एक स्विफ्ट गाडी सफेद रंग जिस पर पंजीयन नंबर एम0पी0-07 सीई-3083 लेख था पीछे वाले कांच पर लाल रंग से तोमर अंग्रेजी में लिखा था रोड पर खड़ी थी। उक्त गाडी के पास पांच व्यक्ति खड़े थे जिनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच थी। उक्त लोगों ने बस को रोकना चाहा जब फरियादी ने बस नहीं रोकी तो उक्त बदमाश बोले कि केपी मादरचोद चालक को गोली मार दो तभी उक्त बदमाश ने जान से मारने की नियत से गोली मारी जो फरियादी के पीछे बैठी सवारी के बाएं पैर की एडी के पास लगी जिससे चोट होकर खून निकल आया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट की जिस पर से अप0क्र0 218/17 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307 भादवि0 के तहत अभियोगपत्र पेश किया गया है। उक्त धारा के अधीन विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार मान0 सत्र न्यायालय को होने से मामला दफ़्तर की धारा 209 के आलोक में उपार्पित किया गया।

प्रकरण में द0प्र0सं0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाए जाने की व्यवस्था करें। साथ ही लोक अभियोजन को उपार्पण संबंधी सूचना भेजी जाए।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जल्दशुदा संपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्तगण यदि अभिरक्षा में रहे हों तो उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित करायें।

आगामी दिनांक को अभियुक्तगण आवश्यक रूप से ठीक 11:00 बजे माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष उपस्थित रहने के लिए आदेशित किए जाते हैं। इस संबंध में जेलर गोहद को निर्देशित किया जावे।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 26.03.18 को पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)